REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2018∕फाल्गुन 15, 1939
No. 889]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2018/PHALGUNA 15, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2018

का. आ. 995(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
सं.	संख्या	
(1)	(2)	(3)
478	354ई	डबवाली के निकट रारा-54 के साथ अपने जंक्शन से प्रांरभ होकर सीतो गुन्नो को जोड़ने वाला और
		पंजाब राज्य में रारा -62 पर अबोहर के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/02/2015-पीऐंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. **814** (अ), दिनांकित **26**.02.2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2018

S.O. 995(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
478	354E	The highway starting from its junction with NH 54 near Dabwali connecting Sito Gunno and terminating near Abhohar on NH-62 in the State of Punjab.

[F. No. NH-14012/02/2015 -P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011publised in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. (E), 814(E) dated 26.02.2018.